205

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक III/ निग./अशोकनगर/भू.रा./2017/4530

रामचरण पुत्र श्री कमलू चमार

निवासी – ग्राम भौंराकाछी, तहसील/जिला अशोकनगर (म.प्र.) ....आवेदक

श्री लखन सिंह धाकड़ द्वारा आज दि. 17-11-17 को प्रस्तुत

क्लार्क ऑफ कोर्ट 17/11/17 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पेशी 08-12-17

बनाम

1– केदार पुत्र हरनाम काछी(फोत) वारिसान
अ– प्रदीप
ब– जसमन पुत्रगण स्वं केदार
स– गीता पुत्री स्व. केदार
द– लीला पुत्री स्व. केदार
2– पप्पू पुत्र बटटू लाल काछी
निवासीगण – ग्राम अमाही, तहसील व जिला अशोकनगर (म.प्र.).........अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहि 1959 न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला ~~छतरपुर~~ अशोकनगर के प्रकरण क्रमां 297/स्व. निगरानी/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 29.09.1 के विरूद्ध प्रस्तुत ।

17-11-17
Lakhan Singh Dhakar
Advocate

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रेषित है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1– यहकि, विवादित् भूमि सर्वे क्रमांक 827 रकवा 1.568 हैक्टेयर ग्राम भौंराकाछी तहसील/जिला अशोकनगर (म.प्र.) में स्थित है उक्त विवादित भूमि का पटटा आवेदक को विधिवत पात्रता के आधार पर बंटन हुआ था। उक्त विवादित भूमि का पटटा विधिवत तहसीलदार महोदय अशोकनगर जिला अशोकनगर द्वारा विधिवत प्रकरण कमांक 39/अ–19/2001–2002 पर पंजीवद्व किया जाकर कार्यवाही की गई और आवेदक को पात्रता के आधार पर आदेश दिनांक 09.06.2002 से पटटा दिया गया था। तथा उसी दिनांक से मौके पर कब्जा प्राप्त किया जाकर निरंतर खेती कर अपना व अपने परिवार का भरण पोंषण कर रहा है।

2– यह कि आवेदक एक हरिजन जाति का व्यक्ति है जिसे म.प्र. शासन द्वारा नियमानुसार पात्रता के आधार पर पटटा दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र एक फर्जी शिकायत के आधार पर आवेदक को विना सूंचना दिये व सुनवाई का अवसर दिये बगैर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। जवकि शिकायतकर्ता को शिकायत करने का अधिकार नहीं है शिकायतकर्ता गलतरूप से शासकीय भूमि पर अवैधरूप से कब्जा कब्जा कर लिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर गौर नहीं किया गया कि शिकायतकर्ता का व्यक्तिगत हित छिपा हुआ है इस कारण उसके द्वारा मिथ्या शिकायत की गई है। जो विचार योग्य ही नहीं थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को बिना सुने एकपक्षीयरूप से आदेश पारित किया गया है। जों नैसर्गिक न्याय के सिद्वातों के विपरीत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग.दो/निग./अशोकनगर/भ्सू.रा./2017/4530 जिला- अशोकनगर

रामचरण विरूद्ध केदार अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला- अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 297-09/स्व.निगरानी/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, जिला - ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 10-10-19 को आयुक्त, जिला ग्वालियर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	